<u>न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कासगंज</u>

पीठासीन अधिकारी–सै0 माऊज़ बिन आसिम.....(एच0जे0एस0)

JO Code No-UP1895

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1746 / 2022</u>

(CNR UPKR01004161-2022)

आशुतोश कुमार पुत्र श्री गेंदालाल निवासी मौहल्ला खेरू, 6 नं. चुंगी, सहावर रोड, गंजडुण्डवारा, कस्बा व थाना गंजडुण्डवारा, जिला–कासगंज।

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–136 / 2022

धारा–366,376,368,342,120बी. भा0द0सं0

थाना–सिढ़पुरा, जिला–कासगंज

<u>11.11.2022</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त अशुतोश कुमार की ओर से **मुकदमा अपराध संख्या–136 / 2022 धारा–366, 376, 368, 342, 120बी. भा0द0सं0 थाना– सिढ़पुरा, जिला–कासगंज** के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय मे न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती मलोदा द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 16.08.2022 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि उसकी पुत्री / पीडिता दिनांक 25–7–2022 को घर से चली गयी थी । दिनांक 16–8–2022 को उसे पता चला कि आशुतोश पुत्र गेदालाल, गेंदालाल पुत्र सीताराम, सोमवति पत्नी गेंदालाल निवासी 06 नं0 चुंगी सहावर रोड गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज गाडी मे बहला फुसलाकर डाल कर ले गये । ले जाते समय उसके गाँव के राजीव पुत्र गुलाब सिंह ने देखा । आशुतोश की पूर्व मे शादी हो चुकी है । उसकी पत्नी का नाम सोनम व उसके दो बच्चे भी है । प्रार्थिया की पुत्री को ले जाने के बाद दिनांक 31–7–2022 को रामपाल कम्पाउडर के मोबाइल पर उक्त आशुतोश ने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दिल्ली प्रीतम पुरा से भेजी और दवा की पूँछताँछ की । उक्त व्यक्ति अपराधी किस्म का है और वह कही ले जाकर उसकी पुत्री की हत्या कर सकता है या बेच सकता है । वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण आशुतोश, गेंदालाल एवं सोमवती के विरूद्ध मुकदमा

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2022.11.11 17:57:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराध संख्या–136/2022 धारा–366 भा0द0सं0 पंजीकृत किया गया तथा दौरान विवेचना धारा–376,368,342,120बी. भा0द0सं0 की बृद्धि की गयी है।

4– अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है। उपरोक्त केस की घटना दिनांक 25.07.2022 समय अज्ञात की बतायी गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिया श्रीमती मलोदा द्वारा दिनांक 16.08.2022 समय 14.18 बजे थाना–सिढ़पुरा पर 22 दिन पश्चात् अत्यधिक विलम्ब से कानूनी राय मशवरा कर पंजीकृत करायी गयी है । विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण वादिया द्वारा प्राथमिकी में नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 366 भा0द0स0ं में दर्ज हुई है, तत्पश्चात् धारा 376,368,342,120बी भा0द0स0ं की बढ़ोत्तरी की गयी है। अपहृता पूर्ण रूप से बालिग है जो अपनी मर्जी से प्रार्थी/अभियुक्त के साथ चली गयी थी तथा करीब एक माह तक उसके साथ अपनी मर्जी से रही। घटना का कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है, जो भी साक्षीगण दर्शाये गये है वे सभी वादिया मुकद्मा के हितैशी है। धारा–161 व धारा–164 द0प्र0स0ं के बयान काफी अन्तराल से कराये गये है। धारा–164 द0प्र0स0ं का बयान मुकदमा वादिया व उसके परिवारीजन के दबाब में कराया गया है। उक्त दोनों बयानों में काफी विरोधाभाष है। अपहृता की मेडीकल रिपोर्ट अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है। सहअभियुक्त गेंदालाल व सोमवती ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरूद्ध क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन नम्बर – 13554/2022 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा धारा 173(2) द0प्र0स0ं तक सहअभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 24.08.2022 से जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध है तथा वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी की पुत्री/पीडिता को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया तथा उसको बंधक बनाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रारम्भ में प्रार्थी/ अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा 366 भा0द0स0ं

पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना प्रश्नगत मामला में धारा 376 ,368, 342 ,120बी भा0द0स0 की बढोत्तरी की गयी। पीडिता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में इस आशय का कथन किया है कि दिनांक 25.07.2022 को प्रार्थी/अभियुक्त ने उसे फोन करके दवा ले जाने के बहाने से बुलाया, वह उसकी बातों पर विश्वास करके घर से निकली तो गॉव के मंदिर के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसे काले रंग की गाडी जिससे शीशे काले थे में डाल दिया फिर वह वहॉ से उसे गंज डाक्टर की दुकान पर ले गये जहॉ उसे राजेश, इरशाद मिले फिर वहॉ से मुझे अपने घर गंज ले गया उसके बाद प्रार्थी/अभियुक्त अपने घर के सभी लोगों के साथ उसे बरेली बेदांता हास्पीटल ले गया। उसके बाद प्रार्थी/अभियुक्त उसे दिल्ली उत्तम नगर ले गया जहॉ उसे कमरे में बंद रखता था और उसे लाल रंग की मीठी दारू पिलाता था जिससे उसे नशा हो जाता था और प्रार्थी/अभियुक्त उसके साथ रोजाना गलत काम करता था। इसके अतिरिक्त पीडिता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0.स0ं में भी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसे शराब पिलाकर गलत काम किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से प्रार्थी/अभियुक्त की प्रश्नगत मामले में संलिप्तता परलक्षित होती है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8– अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त आशुतोश पुत्र श्री गेंदालाल निवासी मौहल्ला खेरू, 6 नं. चुंगी, सहावर रोड, गंजडुण्डवारा, कस्बा व थाना गंजडुण्डवारा, जिला–कासगंज का जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1746/2022 मुकदमा अपराध संख्या–136/2022 अन्तर्गत धारा–366, 376, 368, 342, 120बी. भा0द0सं0 थाना– सिढ़पुरा, जिला– कासगंज निरस्त किया जाता है।

स्टेनो–रामेश्वर दयाल

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
जनपद न्यायाधीश,
कासगंज
11.11.2022